शीर्षक: केन्टीन सेवा संचालन

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

निविदा फार्म

निविदा संदर्भ संख्या क्रमांकः–एफ–80(17)/सीफू/टेंडर/व्हीकल हायरिंग सर्विस/15–16/पार्ट–2/2039 दिनांक 16.05.15

निविदा कार्य का नामः राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में केन्टीन कार्य हेतु निविदा

निविदा अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा सूचना	3
2.	निविदादाता हेतु निर्देश	4—6
3.	निविदा का विवरण	7
4.	निविदा फार्म चैक लिस्ट संलग्नक ''A '	8
5.	निविदा फार्म संलग्नक '' B ''	09—10
6.	निविदा की शर्ते एवं नियम संलग्नक ''C ''	11—14
7.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक ''D ''	15
8.	भोजन (मीनू) की सूची संलग्नक ''E ''	16—17
9.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक F	18
10.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक G	19-20
11.	वित्तीय निविदा प्रपत्र संलग्नक ''H ''	21—24

निविदादाता के हस्ताक्षर

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534

कमांकः–ः–एफ–80(17)/सीफू/टेंडर/व्हीकल हायरिंग सर्विस/15–16/पार्ट–2/2039
दिनांकः– 16.05.15

–ः निविदा सूचना ः–

संस्थान स्थित केन्टीन के संचालन हेतु पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	कार्य	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि, समय एवं स्थान	निविदाएं जमा कराने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	निविदाएं खुलने की तारीख, समय एवं स्थान
1	24 घंटे x 7 दिन केन्टीन संचालन	30 लाख रुपये	60,000 रुपये	1000 रुपये	21.05.2015 से 03.06.2015 सायः 5:00 बजे तक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान कमरा नं. 103	04.06.2015 दोपहर 12:00 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान कमरा नं. 103	04.06.2015 दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान कमरा नं. 101

निर्धारित निविदा प्रपत्र (विस्तृत विवरण सहित) उपरोक्त अवधि मे किसी भी कार्य दिवस मे नगद राशि /डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो कि निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के नाम देय हो जमा करवाकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय से प्रातः 10.00 से सांय 05.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है। निविदा की शर्ते प्रपत्र हेतु संस्थान की वेब साईट www.sihfwrajasthan.com पर प्रकाशन की तिथि से उपलब्ध रहेगी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण निविदा को रदद करने अथवा प्राप्त निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

निविदादाता हेतु निर्देश

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा तथा दर (वित्तीय) निविदा भरकर अलग–अलग लिफाफों मे बन्द करनी होगी। प्रथम लिफाफे पर ''**केन्टीन कार्य हेतु तकनीकी निविदा**'' तथा दूसरे लिफाफे पर ''**केन्टीन कार्य हेतु वित्तीय निविदा**'' बडे–बडे अक्षरों में लिखना होगा। दोनों लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में जिस पर ''**केन्टीन कार्य हेतु निविदा**'' लिखा हो रखकर संस्थान कार्यालय में इस हेतु रखे गये बक्से में निर्धारित समय से पूर्व डालने होगें।

   तकनीकी निविदा में सफलतम निविदादाताओं की ही दर निविदा खोली जावेगी।

2. **तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता की रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति अमानत राशि (राशि रू 60,000/–) का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद प्राप्ति रसीद तथा पिछले 3 वर्षो का कार्यानुभव (सरकारी/स्वायत्तशासी/निजी संस्था का केन्टीन/कैटरिंग/रेस्टोरेन्ट/होटल कार्य की संतोषप्रद सेवायें देने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा निविदादाता को गत 3 वर्षो की आयकर विवरणी मय आय गणना प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगीं ।**

3. उपरोक्त सूचनाएं मय साक्ष्यों के एक लिफाफे में जिस पर स्पष्टतया ''**केन्टीन कार्य हेतु तकनीकी निविदा**'' अंकित किया जावे एवं निविदादाता द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर अंकित कर सीलबंद कर प्रस्तुत की जावें। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग बनाया जावेगा। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे अलग–अलग सील बंद कर तीसरे बड़े लिफाफे में एक साथ रख कर जमा किये जाने हैं। प्रारंभ में केवल तकनीकी निविदा ही खोली जावेगी एवं तकनीकी निविदा में सफल रहने पर ही वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जावेगा।

4. तकनीकी निविदा के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों के अलावा मूल फार्म व संलग्नक “A” से संलग्न “G ” तक पूर्ण भरे हुए व हस्ताक्षरित कर संलग्न करने होंगे।

5. **वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र संलग्नक “H” में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय निविदा भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों एवं दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के अनुरूप हों। कार्यादेश देने के बाद में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जावेगा एवं गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर कैंटीन संचालक के साथ किया गया करार समाप्त कर प्रतिभूति राशि (परफॉर्मेन्स सिक्योंरिटी) जब्त कर ली जावेगी।**

6. यह निविदा पूर्णतया क्वालिटी बेस्ड अर्थात गुणवत्ता आधारित है जिसका निर्धारण तकनीकी निविदा में प्राप्त हुए गुणवत्ता मापदंडों में निविदा दाता को प्राप्त होने वाले

अंको के आधार पर किया जाना है। अतः तकनीकी निविदा केवल मेरिट सूचि में प्रथम तीन रहने वाले निविदा दाताओं की ही खोली जायेगी। यदि प्रथम स्थान पर तीन या अधिक निविदादाता आ जाते है तो इसके आगे के सभी निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी। इसी प्रकार यदि प्रथम स्थान पर एक व दूसरे स्थान पर दो या अधिक अथवा प्रथम स्थान पर दो एवं दूसरे स्थान पर एक या अधिक निविदा दाता आ जाते हैं तो इसके आगे के निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय स्थान पर एक–एक एवं तृतीय स्थान पर एक या अधिक निविदादाता आ जाते है तो इनके अतिरिक्त किसी अन्य की वित्तीय निविदा नही खोली जावेंगी।

7. यह निविदा होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटर्स एवं पंजीकृत अनुभवी केन्टीन संचालकों से आंमत्रित की जाती है।
8. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत डाक द्वारा संपर्क किया जा सकें। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सकें।
9. समस्त दरें, कर आदि यदि कोई हो तो सम्मिलित करते हुये होगी। निविदा में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. निविदाकार जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
11. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. निविदा लिफाफे पर ''केन्टीन कार्य हेतु निविदा'' अंकित की जावे।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
14. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कॉट–छॉट पर निविदादाता को अपने हस्ताक्षर करने होगें।
15. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (अद्योहस्ताक्षर कर्ता) को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

16. सम्पूर्ण निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2015 में उल्लेखित नियम प्रभावी होगें एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होगें।
17. निविदायें उनके खुले जाने एवं पात्र निविदादाता के द्वारा अनुबन्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
18. निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तें विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं।
19. निदेशक किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
20. निविदादाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    - यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    - एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डाक्यूमेंट।
    - कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    - नगर निगम जयपुर या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी फूड़ लाईसेन्स की वैध प्रति।
21. निविदादाता दर संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
22. निविदादाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी।
23. यदि निविदा के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना निविदादाता का दायित्व होगा।

निदेशक

निविदा का विवरण

टेण्डर फार्म संख्याः दिनांकः
टेण्डर फार्म शुल्क राशिः 1000/— रुपये

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान हेतु केन्टीन कार्य हेतु निविदा

1	टेण्डर संख्याः	क्रमांकः—एफ80(17)/सीफू/टेंडर/व्हीकल हायरिंग सर्विस/15—16/पार्ट—2/2039
2	टेण्डर अधिकर्ता एवं पता	निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
3	टेलीफोन नम्बर	0141—2706496, 2701938,
4	टेलीफैक्स नम्बर	0141—2706534
5	वेबसाइट का नाम	www.sihfwrajasthan.com

क्र. सं.	कार्य का नाम	विवरण	मात्रा	निविदा की अमानत राशि (रुपये में)	निविदा की वैधता अवधि	सेवा प्रदान करने हेतु स्थान एवं अवधि
1	24 घंटे X 7 दिन केन्टीन संचालन हेतु दर निविदा	दिये गये मीनू एवं गुणवत्ता की शर्तों के अनुसार	आवश्यकतानुसार एवं अनुमोदित दरों पर अधिकतम 30 लाख रूपये मूल्य तक	60,000	निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक	संस्थान परिसर स्थित कैन्टीन में एवं आवश्यकता अनुसार संस्थान परिसर से बाहर शहर में, जिले अथवा राज्य में भी

निविदा फार्म बिक्री की दिनांक	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि	निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
21.05.15	03.06.15 till 5.00 PM	04.06.15 till 12.00 PM	04.06.15 at 3.00 PM

निदेशक

.

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा **संलग्नक ''A''**

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट
(यह नोटराइज्ड़ होना चाहिए)

मैं/हम .... (निविदादाता का नाम) का कार्यालय .... निविदाकार का पता .... घोषणा करते है कि मैं/हम निविदा के सभी शर्ते एवं नियम पढ़ लिया गया है। जो कि निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा निविदा में दिये गये है तथा उल्लेखित सभी शर्तो, नियमों व नीचे दिये गये ग्रेडिंग/मेरिट सिस्टम का पालन करने हेतु सहमत हैं।
मैं/हम होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी/केंटर्स/ पंजीकृत केन्टीन ठेकेदार के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु सहमत है।
मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने कि घोषणा करते हैं।
मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या	मेरिट हेतु प्राप्तांक (कमेटी द्वारा भरा जावे)
1.	अमानत राशि रु. 60000/– चैक/ड्राफ्ट सं.			0/10
2.	वैध फूड लाइसेंस की प्रति			0/10
3.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई. /अन्य समकक्ष)			0/10 (1 अंक प्रति प्रमाण पत्र अधिकतम 10)
4.	पैन कार्ड की प्रति			0/10
5.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति			0/10
6.	वैट/सेल्स/शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन की प्रति			0/10
7.	हस्ताक्षरित मूल निविदा फार्म मय संलग्नक ''A से G तक''			0–8 (1 अंक प्रति संलग्नक)
8.	कार्य अनुभव विवरण मय प्रमाण पत्र संलग्नक "D"			1 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक
9.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है। इसका शपथ पत्र 10रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "G")			0/10
	कुल प्राप्तांक			

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा संलग्नक " **B** "

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर–302004
फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न. 2706534

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन परिसर में केन्टीन व्यवस्था हेतु

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण

1. निविदा शुल्क जमा कराये जाने का विवरण क्रमांक ....
दिनांक .... राशि ....

1.	निविदादाता फर्म / संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाषः कार्यालय निवास मोबाईल ई–मेल	
4.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था (संलग्नक G)	
5.	फर्म के मालिक / साझेदारों का नाम व पूरा पता	
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	नाम– पता–
	(ब) किस हैसियत (यथा मालिक / अधिकृत ठेकेदार / मैनेजर / सचिव) से हस्ताक्षर किये हैं?	मालिक / अधिकृत ठेकेदार / मैनेजर / सचिव
	(स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	हॉ / नही?

निविदादाता के हस्ताक्षर

7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	मो.नं. दूरभाष नं. पता–
8.	अनुभव का विवरण (क) कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें संस्थान का नाम, अवधि का स्पष्ट विवरण हो	संलग्न है/संलग्न नही है।
9.	संलग्न अमानत राशि का विवरण	जमा करा दी गई है/ नही कराई है। जमा कराने का माध्यमः– बैंकर चैक सं...... ..../नकद रसीद सं. ....
10.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है। इसका शपथ पत्र 10 रुपयें के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें। (संलग्नक F)	संलग्न है/संलग्न नही हैं
11.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ वैध फूड़ लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र)	संलग्न है/संलग्न नही हैं
12.	पेन नम्बर की फोटो कॉपी	संलग्न है/संलग्न नही हैं
13.	सर्विस टेक्स नं./टिन नं.	संलग्न है/संलग्न नही हैं

उपर्युक्त जानकारीयॉ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियॉ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नही होगी। मैने क्रमांक 5 से 13 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.

तकनीकी निविदा **संलग्नक "C"**

कार्यालय भवन एवं परिसर की केन्टीन व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्ते एवं नियम

1. निविदाकार स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
2. यदि निविदादाता के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग में कोई भी शिकायत आने पर सही पाई गई, तो ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी।
3. निविदादाता को अनुबंध के सात दिवस में संस्थान में कैन्टीन संचालन हेतु फूड लाइसेंस हेतु आवेदन कर लाइसेंस संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
4. अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारूप में व तीन प्रतियों में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग चैक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। जिसका विभाग द्वारा ठेकेदार को आयकर (टीडीएस) जमा का फार्म (16 ए) दिया जायेगा।
5. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
6. उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, और ना ही इस कार्यालय का किसी प्रकार का कोई दायित्व/जिम्मेदारी होगी। इस बाबत समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म (अनुबन्धक) की ही होगी।
7. भोजन बनाने हेतु वाणिज्य गैस सिलेन्डर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
8. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में लंच ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले लंच की व्यवस्था करनी होगी।
9. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में टी ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले ही चाय आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर करनी होगी।
10. निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण स्थल के हॉस्टल मैस पर लंच/डिनर की व्यवस्था नहीं करने पर अनुबंधक की रिस्क एवं कोस्ट पर संस्थान द्वारा अन्य फर्म से लंच/डिनर मंगवाया जा सकेगा, तथा संस्थान को इस सम्बन्ध में यदि कोई हानि होती है, तो आर्थिक हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व अनुबंध–कर्ता का होगा व संस्थान निविदादाता/अनुबंध–कर्ता से वसूली करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. भोजन के निर्माण में एगमार्क उत्तम गुणवत्ता की साम्रगी का ही उपयोग किया जावेगा।
12. प्रदाय भोजन की साम्रगी सम्पूर्णतः निविदा विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी।
13. अपरिहार्य एवं प्रशासनिक कारणों से निर्धारित कार्यक्रम परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है।
14. सस्थान द्वारा गठित एक कमेटी कार्यादेश से पूर्व भोजन की गुणवत्ता व स्वाद का जायजा ले सकती है। केवल सही (संतोषजनक) पाये जाने पर ही सफलतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा।
15. निर्देशानुसार कार्य सम्पादित नहीं करने पर या किसी प्रकार असफल रहने पर किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अन्य स्त्रोतों से पूर्ति करने के कारण संस्थान को हुई आर्थिक क्षति के लिये निविदादाता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
16. स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रयुक्त खाद्य साम्रगी व किचन की जॉच/निरिक्षण हेतु यह कार्यालय स्वतंत्र होगा।
17. उक्त दरों में समान लाने ले जाने एवं कार्य स्थल पर हैण्डलिंग की दर भी सम्मिलित है। समान/वस्तुओं की टूट फूट या गुम हो जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
18. दरों में समस्त प्रकार के कर ब्रिकी कर/वैट/सेवा कर सम्मिलित होगे।
19. बिल में वैट वाणिज्यिक कर नियम 38(10), सर्विस टेक्स प्रचलित नियमानुसार अंकित करना होगा।
20. प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी। संस्थान के द्वारा सूचित किये जाने की संख्या अनुसार सुबह की चाय/नाश्ता/लंच/डिनर उपलब्ध कराना होगा। समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकने अथवा गुणवत्ता सही नहीं होने की स्थिति में उस दिन के सम्बन्धित कार्यादेश के विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. यदि प्रतिभागियों द्वारा एक माह में तीन बार से अधिक गुण्वत्ता सम्बन्धी शिकायत की जाती है तो अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।
22. भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती प्रचलित नियम अनुसार की जायेगी। पेन नम्बर, टिन नम्बर लिखना अनिवार्य है, इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित पत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें।
23. सफल निविदादाता को 1000 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

24. भुगतान हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण बैच की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नियमानुसार कुल चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। जांच पश्चात् निविदा की शर्तानुसार सही होने पर भुगतान किया जायेगा।
25. खाने के उपयोग में लिया जाने वाला खाद्य तेल ब्रांडेड मूंगफली/सरसों का होगा। घी केवल गाय का देशी घी ही होना चाहिये तथा मसाले बेसन, चावल, पोहे एवं अन्य खाद्य सामग्री एग मार्का की होगी।
26. विवादास्पद स्थिति होने पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को निविदा शर्तों के अनुसार निर्णय कर आवश्यक कटौति, भुगतान ना करने व वसूली करने का अधिकार रहेगा। विवाद की स्थिति में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
27. निविदादाता द्वारा भोजन आदि की आपूर्ति के फलस्वरूप यदि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण से किसी प्रशिक्षणर्थी को कोई हानि होती है तो उसके लिये निविदादाता पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
28. समस्त विधिक कार्यवाहियों यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार, सरकार, या ठेकेदार द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
29. यह निविदा वार्षिक दर अनुबन्ध के लिये ही है। आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
30. निदेशक द्वारा गठित समिति/प्रधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कच्ची भोजन सामग्री/तैयार भोजन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
31. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद वापस लौटाई जा सकेगी।
32. करार व प्रतिभूति निक्षेपः सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। अनुमानित लागत की पॉच प्रतिशत प्रतिभूति राशि रूपये 150000/– मात्र (बैंक ड्राफ्ट) जमा करानी होगी।
33. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
34. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
35. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत किया जा सकेगा।
    - जब संविदा की किन्ही शर्तों का उल्लघन किया गया हो।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- जब निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

36. प्रतिभूति निक्षेप को समपह्रण करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
37. अल्पाहार, भोजन (लंच एवं डिनर) के पश्चात् भोजन की टेबिल, कुर्सी की सफाई का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्त्रोतों (कार्मिकों) द्वारा कराया जायेगा।
38. अल्पाहार भोजन के पश्चात् भरे हुए कचरा पात्रों को खाली करके साफ कराने की व्यवस्था निविदादाता फर्म द्वारा ही कराई जायेगी।
39. संस्थान के स्टाफ को रियायती दर (अनुमोदित दर का 50%) पर भोजन, एवं नाश्ते की व्यवस्था कॉन्ट्रेक्टर को करनी होगी।
40. प्रशिक्षणार्थियों/कर्मचारियों को पीने के लिए मंगवाये गये पानी के कैम्पर्स को वाटर कूलरों में खाली करवाने का कार्य भी निविदादाता द्वारा अपने स्तर (स्त्रोत) से करवाना होगा।
41. संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार आउट साईड कैटरिंग जिले अथवा राज्य में कहीं भी करनी हो सकती है।
42. साप्ताहिक खाने के मीनू के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
43. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम एवं मोहर
डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय ....
....
....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र **संलग्नक ''D '**

कार्यानुभव प्रमाण पत्र

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता जहॉ कार्य सम्पादित किया है	सेवा अवधि	वित्त वर्ष	लागत	प्रमाण संलग्न किया है अथवा नहीं

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा संलग्नक ''**E** ''

साप्ताहिक भोजन मीनू की सूची

Days	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
Break fast	चाय/काफी दूध–कार्नफलेक स सेव, पपीता ब्रेंड– आमलेट ब्रेड –बटर पोहा	चाय/काफी दूध– कार्नफलेक्स केला, पपीता परांठा – आलू गोभी (दही,अचार,सॉस) ब्रेंड– आमलेट	चाय/काफी दूध– कार्नफलेक्स सेव , केला Sambhar-Idli ब्रेंड– आमलेट or boiled egg	चाय/काफी दूध– कार्नफलेक्स पपीता केला ब्रेंड– आमलेट बेसन / दाल चीला ब्रेड –बटर	चाय/काफी दूध– कार्नफलेक्स संतरा केला कटलेट–साबू दाना ब्रेंड– आमलेट	चाय/काफी दूध– कार्नफलेक्स केला, पपीता पोहा Boiled Egg	चाय/काफी दूध–कार्नफलेक्स पाइनेपल केला आलू–पुडी ब्रेड –बटर
High Tea	चाय/काफी Wafers नारियल बर्फी कचौरी/समोसा	चाय/काफी बिस्कुट सादा बर्फी बेंड पकोडा	चाय/काफी Wafers नारियल बर्फी कचौरी/समोसा	चाय/काफी बिस्कुट सादा बर्फी बेंड पकोडा	चाय/काफी Wafers नारियल बर्फी कचौरी/समोसा	चाय/काफी बिस्कुट सादा बर्फी बेंड पकोडा	चाय/काफी बिस्कुट नारियल बर्फी कचौरी/समोसा
Lunch	टमाटर सूप चपाती दाल मखानी मेथी आलू मलाई कोफता बूंदी का रायता जीरा राईस पोला पापड नारियल की बॅर्फी सलाद कचूमर	कोर्न सूप चपाती अरहर दाल आलू पालक कढाही पनीर पाईनेपल रायता वेजीटेबल पुलाव सादा पापड खीर सलाद गोल	टमाटर सूप चपाती/मिस्सी मूंग दाल आलू–फूल गोभी स्टफ टोमेटो वेजीटेबल रायता जीरा राईस पोला पापड प्लेन बॅर्फी सलाद गोल	वेजीटेबल सूप चपाती मिक्स दाल आलू बैंगन शाही पनीर बूंदी का रायता मटर पुलाव सादा पापड हलवा सलाद कचूमर	कोर्न सूप चपाती राजमा Matar mangodi दम आलू लौकी/खीरे रायता प्लेन राईस पोला पापड रसगुल्ला सलाद गोल	टमाटर सूप चपाती धुली उडद दाल Mix Veg गटटा मसाला जीरा पुदीना रायता मटर पुलाव सादा पापड गुलाब–जामुन सलाद गोल	वेजीटेबल सूप चपाती छोलं आलू शिमला–मिर्च पालक पनीर बूंदी का रायता प्लेन राईस पोला पापड राजभोग सलाद गोल
सलाद – सिरका प्याज,मिर्च,नींबू,खीरा/ककडी ,टमाटर , चटनी, अचार							
Evening Tea	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट	चाय/काफी बिस्कुट

निविदादाता के हस्ताक्षर

Dinner	वेजीटेबल सूप चपाती धुली उडद लौकी स्टफ टोमेटो वेजीटेबल रायता चपाती सादा पापड जीरा राईस हलवा सलाद गोल	टमाटर सूप च्पाती कढी पकोडा गाजर मेथी दम आलू बूंदी का रायता चपाती पोला पापड प्लेन राईस आईसक्रीम सलाद गोल	कोर्न सूप चपाती दाल पालक आलू प्याज काले चने ग्रेवी जीरा पुदीना रायता चपाती पोला पापड जीरा राईस मूंगथाल सलाद कचूमर	टमाटर सूप चपाती दाल मखानी गाजर मेथी गटटा मसाला पाईनेपल रायता चपाती सादा पापड प्लेन राईस नारियल की बॅर्फी सलाद गोल	वेजीटेबल सूप चपाती मूंग दाल पत्तागोभी मटर लौकी कोफता बूंदी का रायता चपाती सादा पापड जीरा राईस खीर सलाद कचूमर	टमाटर सूप चपाती दाल अरहर आलू–फूल गोभी मटर पनीर वेजीटेबल रायता चपाती पोला पापड प्लेन राईस इमरती सलाद गोल	कोर्न सूप चपाती काली उडद दाल न्यूट्रीला नगेटस छोले मसाला पाईनेपल रायता चपाती सादा पापड जीरा राईस मिल्क केक सलाद कचूमर
सलाद – सिरका प्याज,मिर्च,नींबू,खीरा/ककडी ,टमाटर , चटनी, अचार							

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम.................................
पता निवास स्थान एवं कार्यालय ....
....
....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक ''F ''

स्वः घोषणा प्रमाण पत्र

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंम्पनी) द्वारा प्रमाणित किय जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नही कि गई है इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी /हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी /हमारी संस्था जिम्मेदार होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

निविदादाता का नाम

दिनांक

स्थान

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक ''G ''

स्वामित्व प्रमाण पत्र

(10 रू के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी)

में/हम.. में एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स ....एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित ....(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते हैः–

1. कि में मेसर्स ....का एक मात्र मालिक हू

अथवा

कि हमारी मेसर्स ....साझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारो पूरा नाम निम्न है/

(अ) ....

(ब)...

(स)..

(द)...

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानो के अन्तगर्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन ओर एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशको में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए

निविदादाता के हस्ताक्षर

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविधा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य में अयोग्य नही पाई गई है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है
3. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविधा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवेध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नही किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है
4. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते है तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई निविदाओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नही होगे
5. में शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ कसम खाता हुं की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु..पर..दिये गये अनुच्छेद 1से 5 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नही है तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झुठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा संलग्नक ''**H** ''

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर–302004
फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न. 2706534

अलग लिफाफे में सील करके डाला जाना है।

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन परिसर में केन्टीन व्यवस्था हेतु वित्तीय/दर निविदा प्रपत्र

निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली भोजन की दरें

लन्च (मीनू) की दरें (सप्ताहिक भोजन मीनू के अनुसार)	
a. सूप,जूस,पना,जलजीरा,(कोई दो चीजे) b. चपाती(तवा/तंदूरी/मिस्सी) c. चावल/पुलाव बासमती, d. दो ,सब्जियां जिसमें से एक पनीर की e. दालमखानी/दालफ्राइ/राजमां/छोले/कढी/मेथी–आलू/मूंगदाल/स्टफ/टोमेटो/दमआलू/गटटा मसाला/आलू–शिमला मिर्च f. रायताः– फ्रूट,/ बूंदी, /खीरा /दही/पाईनैपल/वेजीटेबल g. मिठाई 50 ग्राम (एक नग) या आइसक्रीम 50 एम एल h. अचार, चटनी, पापड–जीरा/पोला पापड i. सलाद (खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली,फ्रूट चाट) j. अदरक (लच्छेदार) हरी मिर्च , सिरका प्याज **k.** सौफ ,सुपारी, मिश्री	**दर प्रति व्यक्ति रू.**
a. डिनर (मीनू) की दरें (सप्ताहिक भोजन मीनू के अनुसार)	
a. सूप,जूस,पना,जलजीरा,(कोई दो चीजे) b. चपाती(तवा/तंदूरी/मिस्सी) c. चावल/पुलाव बासमती, d. दो ,सब्जियां जिसमें से एक पनीर की e. दालमखानी/दालफ्राइ/राजमां/छोले/कढी/मेथी–आलू/मूंगदाल/स्टफ/टोमेटो/दमआलू/गटटा मसाला/आलू–शिमला मिर्च f. रायता (फ्रूट,/ बूंदी, /खीरा /दही/पाईनैपल/वेजीटेबल	**दर प्रति व्यक्ति रू.**

निविदादाता के हस्ताक्षर

g. मिठाई 50 ग्राम (एक नग) या आइसक्रीम 50 एम एल h. अचार, चटनी, पापड–जीरा/पोला पापड i. सलाद (खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली,फ्रूट चाट) j. अदरक (लच्छेदार) हरी मिर्च , सिरका प्याज **k.** सौफ ,सुपारी, मिश्री	
नाश्ता (A,B,C,D, प्रत्येक Group में से एक एक चीज हर रोज)	
a. दही परॉठा,(आलू/गोभी/पनीर/प्याज/मटरद्ध अचार के साथ,/ कटलेट / पोहे रतलामी सेव के साथ/ पकौडे / <u>सेण्डविच/उत्तपम/</u> सांभर बडा / इडली सांभर,पूरी (प्रति दिन कोई एक चीज) b. ब्रेड(चार पीस)आमलेट, ब्रेड बटर (10ग्रम) जैम, साथ में चाय/ कॉफी या दूघ (200 ML) या जूस c. corn flex, एवं दूध (200 ML) d. मौसमी फल	रू.
वर्किंग टी	
प्लेन टी/कॉफी विद कुकीज	रू.
हाई टी	
(1) एक पीस मिठाई (50 ग्राम) (2) समोसा/कचोरी/पैटीज/सेण्डविच/खमण/ब्रैड पकौड़ा (3) चाय/काफी/जूस/लस्सी/छाछ (4) वेफर्स (5) कुकीज	रू.
पैक लंच (प्रत्येक सब्जी,दाल,पुलाव,रायता, मिठाई के अलग–अलग कंटेनर में रखें जायेगें)	रू.
1. चपाती(तवा/तंदूरी/मिस्सी) 2. चावल/पुलाव बासमती, 3. दो ,सब्जियां जिसमें से एक पनीर की 4. दाल, रायता 5. मिठाई 50 ग्राम (एक नग) 6. अचार चटनी, निम्बू (थैली अथवा पाउच मे) 7. सलाद (खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली,)	

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्पेशल लंच	**रू.**
1. सूप,(टमाटर, मिस्क वेज, कॉन, रबड़ी) कोई दो आईटम 2. स्टार्टस (कटलेट, पनीर पकोड़े, कोपते,) कोई दो आईटम 3. चपाती (तवा/तंदूरी/मिस्सी/रुमाली/बेजड़/मसाला) कोई सी दो प्रकार की 4. चावल/पुलाव बासमती/वेज बिरयानी 5. तीन सब्जियां जिसमें से एक पनीर की एवं एक मिक्स वेज तथा एक सीजनल या तवा सब्जी हो 6. दालमखानी/दालफ्राई कोई एक एवं साथ में छोले/राजमा/कढ़ी में से कोई एक 7. रायता (फ्रूट,/ बूंदी, /खीरा) /दही/दही मिर्ची 8. हलवा (गाजर/बादम/मूंग) केवल सर्दी के मौसम में 9. रस मलाई/रबड़ी 10. मिठाई 50 ग्राम (दो नग) 11. आइसक्रीम केवल गर्मी के मौसम में 12. फ्रूट ज्यूस/फ्रूट केक/ट्रफल 13. अचार, चटनी, व पापड़ 14. फ्रूट सलाद (अमरुद, सेव, पपीता, अंगूर,केला, आदि) 15. सलाद (खीरा, ककडी, प्याज टमाटर ,गाजर मूली, आदि) 16. अदरक (लच्छेदार) हरी मिर्च, सिरका प्याज 17. सौंफ सुपारी मिश्री	
आउट साईड कैटरिंग जिले अथवा राज्य हेतु दर (उपरोक्त नाश्ते, हाई टी, लंच, डिनर जयपुर शहर, शहर के बाहर तथा राज्य के अन्य जिलों में उपलब्ध कराने के लिए दरों में वृद्धि की मात्रा को प्रतिशत में प्रस्तुत करें)	**अतिरिक्त चार्जेज प्रतिशत में**
जयपुर शहर में संस्थान परिसर के बाहर	
जयपुर जिले में म्यूनिसिपल एरिया के बाहर	
राजस्थान राज्य के अन्य जिलों में	

चाय, चीनी, मिल्क पाउडर सॉस सिर्फ शैशे मे ही जैम एवं बटर पैक्ड पील ऑफ शैशे (चिपलेट) में ही उपलब्ध कराना होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नोट :– ठेके की प्रस्तावित दर अंको व शब्दों में सामान होनी चाहिए तथा किसी प्रकार की काट–छॉट नही होनी चाहिये। अंको व शब्दों में राशियों में अन्तर होने पर अथवा काट–छॉट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा खोलने वाली समिति ऐसी काट– छॉट या ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा। गणना में गलती होने पर उसमें नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम ....
एवं पता ....
मोबाईल न. ....
फोन न. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर